न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

सीतादेवी

बनाम

भैराराम इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भूपेन्द्र गहलोत, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या एक

आदेश

दिनांक 10 दिसंबर 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अधीनस्थ सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 132/2024 (जी.सी.एम. एस. नंबर 2024/213) अनवान सीतादेवी बनाम भैराराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 03 अक्टूबर 2025 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1728/476 रकबा 2.8075 हैक्टेयर ग्राम बालोतरा तहसील बालोतरा अपीलार्थीनी के स्व. पिता रूपाराम पुत्र मगाराम जाति माली निवासी बालोतरा के नाम से वक्त सेटलमेंट दर्ज हुई है। अपीलार्थीनी का उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर निर्विघ्न रूप से कब्जा काश्त कायम है तथा वादग्रस्त खसरान् में अपने हक हिस्से पर अपीलार्थीनी द्वारा निरन्तर रूप से काश्त की जा रही है तथा मौके पर वादग्रस्त आराजी में अपने हक हिस्सा पर सेढा माठ बना कर निरन्तर उपयोग उपभोग कर रही है। अपीलार्थीनी के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में किसी प्रकार का बेचान नहीं किया गया है। रेस्पो. संख्या एक द्वारा मिलीभगती कर अपंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात को अपने नाम दर्ज करवा लिया गया है। रेस्पो. संख्या एक वर्तमान राजस्व रेकर्ड की आड़ में अपीलार्थीनी को मौके से बेदखल करने तथा वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलार्थीनी के पक्ष में है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीनी द्वारा अपने केस को बखूबी साबित किये जाने क बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन को विधिविरुद्ध तरीके से खारिज कर दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि तथाकथित बैचान दिनाक 24.05.1966 में मात्र 96/- रूपये में सम्पूर्ण रकबा यानि कि 25 बीघा 05 बिस्वा भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

का बैचान करना तथा आलौच्य बैचान का आलौच्य नामान्तरणकरण दिनांक 27.01.1968 को दो वर्ष बाद भरा गया है। तत्सयम रजिस्टर्ड बैचान के जरिये उसी किस्म की भूमि की कीमत 100/- रूपये प्रति बीघा से अधिक थी। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना आलौच्य आदेश आनन फानन में बिना किसी विधिक अधिकार के किया गया जो काबिल अपास्त के है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 अक्टूबर 2025 को निरस्त किया जावे एवं मूल वाद के निस्तारण तक रेस्पोडेंट्स को पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात का बेचान हस्तांतरण नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

जवाब में रेस्पो. संख्या एक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि विवादित भूमि अपीलार्थीनी के पिता खातेदार रूपाराम पुत्र मगाराम की स्वअर्जित सम्पति थी। खातेदार रूपाराम पुत्र मगाराम द्वारा विवादित भूमि का दिनांक 24.5.1966 को राशि रूपये 96/-मे रेस्पो. संख्या 1 को बेचान कर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया था। रेस्पो संख्या एक वक्त खरीद से वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज है तथा उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर रेस्पो. संख्या एक का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट को कोई कब्जा काश्त नहीं है। कानूनन रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक रेस्पो. संख्या एक द्वारा वादग्रस्त आराजीयात अपीलार्थीनी के पिता स्व. रूपाराम पुत्र मगाराम से विवादित भूमि दिनांक 24.5.1966 को प्रतिफल राशि रूपये 96/-मे में खरीद किया जाना प्रकट होता है। उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर नामांतरकरण संख्या 637 दिनांक 27.01.1968 स्वीकृत किया जाकर क्रेता/रेस्पो. संख्या एक का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या एक वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार दर्ज है। कानूनन रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। जहां तक अपीलार्थीनी के वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों के निर्धारण का प्रश्न है, वे मूल वाद में जरिये साक्ष्य तय होने है। लिहाजा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 अक्टूबर 2025 यथावत रखा जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
प्रथम अपील अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर